कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : 352 / W·30 /144 दिनांक : 29/4/2026

दिनाँक 24.04.2026 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति हेतु दिनांक 24.04.2026 को विकास भवन, लखनऊ मे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों /फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री ए0के0 त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. श्री मुकेश कुमार वैश, अधिशासी अभियन्ता, सिचाई एवं जल संस्थान विभाग, लखनऊ।
4. **बाल विकास परियोजना अधिकारी, लखनऊ।**
5. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
6. श्री अमित वर्मा, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री अरविंद यादव, सहायक अभियन्ता, नलकूप विभाग, लखनऊ।
8. श्री पवन पाण्डेय, जूनियर इंजीनियर (वि0/यॉ0), खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. श्री शिवशंकर कनौजिया, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
10. श्री मो0 ताबिश, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
11. डा0 हरपाल सिंह, जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
12. श्री सुमित भटनागर, सी0बी0 एण्ड टी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
13. श्री हरि कृष्णा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0सी0सी0लि0, लखनऊ।
14. श्री रामा राजू, एस0पी0एम0, मै0 एन0सी0सी0लि0, लखनऊ।
15. श्री शोभित भदोरिया, डी0टी0एल0, टी0पी0आई0, मै0 सी0एस0 टेक लि0, लखनऊ।
16. श्री इब्राहिम मलिक, क्यू0ए0क्यू0सी0, टी0पी0आई0, मै0 सी0एस0 टेक लि0, लखनऊ।

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार हैं–

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद में कुल 23 नग पेयजल योजनाएं बनायी गयी, जिनमें 33 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है एवं 03 नग पेयजल योजनाओं पर आगाखॉन फाउण्डेशन द्वारा कार्य कराया गया है, जिसमें 4 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है, इस प्रकार कुल 26 नग पेयजल योजनाएं पूर्व से निर्मित है, जिनमें कुल 37 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। सम्पूर्ण जनपद को संतृप्तक रने के उद्देश्य से वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 376 नग पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें 669 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है, पेयजल योजनाओं में 442 नग नलकूप, 442 नग पम्प हाउस, 442 नग बाउण्ड्रीवॉल, 442 नग सोलर प्लान्ट, 381 नग शिरोपरि जलाशय, 4940 कि0मी0 वितरण प्रणाली एवं 229677 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 436 नग नलकूप, 434 नग पम्प हाउस, 436 नग बाउण्ड्रीवॉल, 434 नग सोलर प्लान्ट, 189 नग शिरोपरि जलाशय, 4842 कि0मी0 वितरण प्रणाली एवं 225314 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कर लिए गए है, शेष कार्य प्रगति पर है। जनपद में कुल 669 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 616 नग राजस्व ग्रामों मे नियमित क्लोरीनयुक्त स्वच्छ पेयजलापूर्ति की जा रही है। 584 नग राजस्व ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। 253 नग राजस्व ग्रामों को हर घर जल सर्टिफाइड कर लिया गया है एवं 140 नग पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में ले जाया जा चुका है। बैठक में अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उनमें बिना किसी बाधा के निरन्तर क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। पाइप लाइन व पेयजल गृह संयोजन किए जाने

हेतु खोदी गयी सड़कों को अभियान चलाकर गुणवत्तापूर्वक पुनर्स्थापित कर दी जाए एवं [illegible] की शिकायतों का तत्काल प्रभाव से निस्तारण कराया जाए। पेयजल योजनाओं पर [illegible] सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से बात कर यदि कोई शिकायत प्राप्त हो तो, त्रुटि [illegible] कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कुशल संचालन एवं अनुरक्षण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) का गठन किया जा चुका है।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं पर [illegible] गए नलकूप के स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित किए जाने हेतु कार्यदायी संस्था [illegible] Source Sustainability Plan [illegible] (सिविल) एवं (हाइड्रो) द्वारा [illegible] से पूर्ण अध्ययन कर तैयार किया गया, जिसमें जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं में स्थापित सभी Source Sustainable पाये गये। समिति बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा Source Sustainability रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के [illegible] का E-gramswaraj पोर्टल पर ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान की लॉगिन [illegible] से जल सेवा आंकलन किया जाना है, जिसके क्रम में जनपद लखनऊ में 217 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 216 नग राजस्व ग्रामों में जल सेवा आंकलन किया जा चुका है। निर्देशित किया गया कि समन्वय स्थापित कर भविष्य में भी इसी प्रकार कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कुल 191 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की RPWSS ID JJM 2.0 पोर्टल पर बनाई जानी है। जिसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल 186 नग एकल ग्राम पेयजल की RPWSS ID JJM 2.0 पोर्टल पर बनाई जा चुकी है।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड-गोसाईगंज की 04 नग पेयजल योजनाएं एवं विकासखण्ड-मलिहाबाद की 01 नग पेयजल योजना पर द्वितीय नलकूप हेतु 20मी0X20मी0 की भूमि उपलब्ध कराया जाना शेष है, विकासखण्ड-गोसाईगंज की 01 नग पेयजल योजना पर 02 बार बोरिंग करने के उपरान्त भी नलकूप सफल नहीं हो सका, जिसके लिए 30मी0X40मी0 की भूमि उपलब्ध कराया जाना शेष है एवं विकासखण्ड-काकोरी की 01 नग पेयजल योजना पर बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है, परन्तु उक्त भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा खेत का मेड़ बनाकर कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अन्य दूसरी भूमि प्राप्त कर तथा विवाद का निस्तारण कराते हुए नये ट्यूबवेल की बोरिंग का कार्य पूर्ण कराकर योजना को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 09 नग पेयजल योजनाएं ग्राम पंचायत समूह पेयजल योजनाएं है, जिनमे एक ग्राम पंचायत में जलकल परिसर का निर्माण करते हुए, उक्त सम्मिलित समस्त ग्राम पंचायतों एवं मजरों में जलापूर्ति किए जाने का प्राविधान है। किन्तु ग्राम पंचायतों में अपर जलाशय नहीं बनाया गया है यहाँ के प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा अपने ग्राम में अलग से शिरोपरि जलाशय बनाने की मांग करते हुए पाइपलाइन एवं तत्सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ नहीं करने दिये जा रहे है, जिस कारण पेयजल के समस्त कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई हो रही है। निर्देशित किया गया कि जिला विकास अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला पंचायत राज अधिकारी व सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्या का निराकरण करायें।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखनऊ में वर्तमान तक 57 नग पेयजल योजनाओं में सोलर पैनल क्षतिग्रस्त कर दिए जाने के फलस्वरूप 54 योजनाओं में सोलर केबिल चोरी होने एवं सोलर पैनल क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिसे फर्म द्वारा नयी केबिल लगाकर एवं [illegible] नग ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति बाधित हो गयी थी, योजनाओं को पुनः क्रियाशील कर दिया गया है।। क्षतिग्रस्त सोलर पैनल को बदलते हुए योजनाओं को [illegible] एफ0आई0आर0 सम्बन्धित थानों में कराई गयी। जिसके समस्त योजनाओं पर हुई चोरी की घटनाओं की [illegible] नहीं हुई है एवं चोरी की वारदातें लगातार हो रही है। जिसके फलस्वरूप वर्तमान तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है एवं [illegible] निर्देशित किया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं के परिसर पर फर्म द्वारा [illegible] में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुझाव दिया गया [illegible]

सी0सी0 टी0वी0 कैमरा या बाउण्ड्रीवॉल पर तार फेसिंग कराकर जलकल परिसर को सुरक्षित किया जाये।

- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम की पूर्व निर्मित 23 नग पेयजल योजनाएं, जिनमें कुल 33 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है का संचालन एवं अनुरक्षण (10 वर्षों हेतु) कार्य हेतु नामित फर्म मै0 विंध्या टेलीलिंक लि0, लखनऊ है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। उक्त पेयजल योजनाओं में मरम्मत, पाइप लाइन विस्तार, नए पेयजल गृह संयोजन इत्यादि के कार्यों हेतु विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृति हेतु प्रधान कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को प्रेषित किए गए हैं, स्वीकृति उपरान्त प्रस्तावित कार्य पूर्ण कराकर योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियाशील कर जनपयोगी किया जाएगा। वर्तमान में 02 नग पेयजल योजनाएं पूर्ण रूप से संचालित, 20 नग पेयजल योजनाएं आंशिक रूप से संचालित एवं 01 नग पेयजल योजना बन्द श्रेणी में है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त क्रियाशील समस्त पेयजल योजनाओं पर यथास म्भव नियमित रूप से जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

  अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत समस्त पेयजल योजनाओं से नियमित क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति तथा किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल उसका निराकरण करना सुनिश्चित करें।

(अजय जैन)
मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।
5. मै0 एन0सी0सी0लि0, लखनऊ।
6. टी0पी0आई0, मै0 सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।
7. डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।

Ajay

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।